

प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना (१०० टक्के केंद्र पुरस्कृत योजना, राज्य व्यवस्थापित- PMKVY ३.०- CSSM) “अनुसूचित जनजाती घटक कार्यक्रम” या योजनेतर्गत नवीन लेखाशिर्षास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत.....

महाराष्ट्र शासन
कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग
शासन निर्णय क्रमांक : कौविउ-२०२१/प्र.क्र.८२-भाग-२/कौशल्य-१
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक,
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२.
दिनांक : ०४ जुलै, २०२२

संदर्भ :-

- १) केंद्र शासनाच्या कौशल्य विकास व उद्योजकता मंत्रालयाचे पत्र फाईल नं.एससीएच-११/२४२०२१-एसएनपी/दिनांक २४ मे, २०२१.
- २) कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग/शासन निर्णय क्रमांक:कौविउ-२०२१/प्र.क्र.८२/कौशल्य-१/ दिनांक १२ जानेवारी, २०२२.

प्रस्तावना :-

केंद्र शासनाने प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना ३.० (१०० टक्के केंद्र पुरस्कृत, राज्य व्यवस्थापित- PMKVY ३.०-CSSM) या योजनेचा तिसरा टप्पा राज्यात राबविण्यास सं.क्र. १ येथील पत्रान्वये मान्यता दिलेली असून या योजनेतर्गत रु. ६,०१,५०,०००/- इतका निधी राज्य शासनास वितरीत केला आहे.

२. सदर योजना १०० टक्के केंद्र पुरस्कृत असून सदर निधी हा सर्वसाधारण प्रवर्ग/अनुसूचित जाती प्रवर्ग/अनुसूचित जमाति घटक याकरिता सामायिक वितरित केला आहे. त्यास अनुसरून अनुसूचित जनजाती घटक प्रवर्गाकरिता नवीन लेखाशिर्ष उपलब्ध करून देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय :-

प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना-३.० (१०० टक्के केंद्र पुरस्कृत योजना, राज्य व्यवस्थापित- PMKVY ३.०-CSSM) या योजनेतर्गत, अनुसूचित जमाति घटक कार्यक्रम, केंद्र हिश्याकरिता खालीलप्रमाणे नवीन लेखाशिर्ष उपलब्ध करून देण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे.

मागणी क्रमांक टी-५ २२३०, कामगार व सेवायोजन व कौशल्य विकास ०३, प्रशिक्षण ७९६, जनजाती क्षेत्र उपयोजना (०१) जनजाती क्षेत्र उपयोजनेतर्गत योजना (०१)(१३) प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना (१०० % केंद्र पुरस्कृत योजना) (कार्यक्रम) ३१, सहाय्यक अनुदाने (२२३० A८०८)	Demand No. T-5 2230, Labour and Employment and Skill Development 03, Training 796, Tribal Area Sub-Plan (01), Tribal Area Sub-Plan (01) (13) Pradhan Mantri Kaoushlya Vikas Yojana (100 % Central Sponsored Scheme) (Scheme) 31, Grants-in-aid (2230 A808)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२२०७०५१४५९२५६००३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करून काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

SUVARNA S
KHARAT

Digitally signed by SUVARNA S KHARAT
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SKILL
EMPLOYMENT ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION DEPARTMENT,
2.5.4.20=c884332141134452226394822d41091a29e6a5f367884
1f6b40a437b, postalCode=400032, st=Maharashtra,
serialNumber=35F57024D03825843E41F0F39E191F897508AEF3C68
ABED209A98D065614C, cn=SUVARNA S KHARAT
Date: 2022.07.05 15:03:34 +05'30'

(डॉ. सुवर्णा खरात)

सह सचिव, महाराष्ट्र शासन

प्रत,

१. आयुक्त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय नवी मुंबई.
२. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटी, मुंबई.
३. महालेखापाल (लेखा परीक्षा /लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर.
४. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा कोषागार कार्यालय, ठाणे.
५. अपर कोषागार अधिकारी, उप कोषागार कार्यालय, कोकण भवन, नवी मुंबई,
६. कक्ष अधिकारी, प्रशा-३, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
७. निवड नस्ती (अभियान -१), कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, मंत्रालय, मुंबई.